अनुदान संख्या 62 – विधि और न्याय
GRANT No. 62–LAW AND JUSTICE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	685,84,00				
				894,14,00	734,29,92	–159,84,08
पूरक	Supplementary	208,30,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					152,04,17
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			3,00	..	–3,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (15984.08 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 20830.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 77 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

बचतें/ अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/ हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.15984.08 lakhs) constituted 77 percent of the supplementary grants of Rs.20830.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 18 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	3826.00			
पू.	S.	867.00	4567.71	4867.72	+300.01
पु.	R.	–125.29			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2014'' न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	16512.00			
पू.	S.	40.00	7303.11	7161.63	–141.48
पु.	R.	–9248.89			
मुख्य शीर्ष ''2015'' निर्वाचन	Major Head "2015" Elections				
मू.	O.	21900.00			
पू.	S.	19154.00	38770.77	38670.42	–100.35
पु.	R.	–2283.23			
मुख्य शीर्ष ''2020'' आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	2931.00			
पू.	S.	660.00	3863.63	3881.46	+17.83
पु.	R.	272.63			
मुख्य शीर्ष ''2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	615.00			
पू.	S.	1.00	832.21	765.37	-66.84
पु.	R.	216.21			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2600.00			
पू.	S.	108.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2708.00			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	19900.00	18572.40	17810.80	–761.60
पु.	R.	–1327.60			

(I) 2771.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2717.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014"- "अन्य व्यय - अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र" - 9.00 लाख रु.का पूरक अनुदान इस केंद्र के स्वायत्तशासी अनुदानग्राही होने की वजह से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू न किए जाने के कारण था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"- "न्याय प्रशासन"-

(क) "न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान"-1600.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(ख) "जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण"- 1108.00 लाख रु. (108.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर योजना आवंटन में कमी किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "राजभाषा स्कंध" - 407.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 75.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 482.50 लाख रु.कर दिया गया जो, तथापि, भारत सरकार मुद्रणालय से बिलों के प्राप्त न होने, कम घरेलू दौरे किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 10.86 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2771.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.2717.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2014" – "Other Expenditure – International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR)" – supplementary grant of Rs.9.00 lakhs – due to non-implementation of 6th Central Pay Commission Report owing to Centre being an autonomous grantee body.

(B) Major Head "2552" - "Administration of Justice" -

(a) "Grants for Infrastructural Facilities for Judiciary" - Rs.1600.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional head for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Computerization of District and Subordinate Courts" - Rs.1108.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.108.00 lakhs) - due to reduction of plan allocation at revised estimates stage owing to non-receipt of viable proposals from North Eastern Region and Sikkim.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2052" - "Secretariat" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Official Language Wing" - the original provision of Rs. 407.00 lakhs was augmented to Rs.482.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs. 75.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs. 10.86 lakhs – due to non-receipt of bills from Government of India Presses, less domestic tours and economy measures.

(खा) ''विधायी विभाग''- 702.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 225.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 927.00 लाख रु. कर दिया गया जो,तथापि, कम विदेशी दौरे किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 35.43 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) ''न्याय विभाग''- 104.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 154.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, कम घरेलू दौरे किए जाने और किफायती उपायों के कारण 23.81 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घा) ''विदेशी मुद्रा अपीलीय अधिकरण'' 68.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 17.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 85.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, किफायती उपायों के कारण 12.38 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2014'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''विधि सलाहकार और परामर्शदाता - विधि कार्य विभाग''- 208.05 लाख रु. की बचत (1652.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधि परामर्शदाता/विधि अधिकारियों से शुल्क के कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण'' - 117.32 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण'' - 8880.00 लाख रु. की बचत (11470.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(B) "Legislative Department" - the original provision of Rs. 702.00 lakhs was augmented to Rs.927.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs. 225.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs. 35.43 lakhs –due to less foreign tours and economy measures.

(C) "Department of Justice" - the original provision of Rs. 104.00 lakhs was augmented to Rs.154.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs. 50.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs. 23.81 lakhs –due to less domestic tours and economy measures.

(D) "Appellate Tribunal of Foreign Exchange" - the original provision of Rs. 68.00 lakhs was augmented to Rs. 85.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs. 17.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs. 12.38 lakhs – due to economy measures.

(III) Under Major Head "2014" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Legal Advisers and Counsels– Department of Legal Affairs" - saving of Rs.208.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1652.00 lakhs) was due to receipt of less claims for fee from Legal counsels/Law officers and economy measures.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "National Legal Service Authority" - saving of Rs. 117.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 2000.00 lakhs); and

(b) "Computerisation of District and Subordinate Courts" - saving of Rs.8880.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 11470.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances of previous year.

(IV) मुख्य शीर्ष "2015'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निर्वाचन अधिकारी- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति'' - 600.00 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "निर्वाचक नामावली की तैयारी और मुद्रण - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति'' -1120.00 लाख रु. की बचत (11200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "लोक सभा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होने पर चुनाव कराए जाने संबंधी प्रभार - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति'' - 283.28 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जाना - राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति'' - 274.23 लाख रु. की बचत (2366.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों से प्रतिबद्ध देयताओं के कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष "3601'' - "योजनेतर अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "न्याय प्रशासन (विशेष न्यायालय) - परिवार न्यायालय'' - 1200.00 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "न्याय प्रशासन (सिविल और सत्र न्यायालय) - फास्ट ट्रैक कोर्ट'' - 2044.00 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) Under Major Head "2015" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Electoral Officers- Reimbursement to State/Union Territory Governments" – saving of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 6000.00 lakhs);

(B) "Preparation and Printing of Electoral Rolls - Reimbursement to State/Union Territory Governments" - saving of Rs.1120.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11200.00 lakhs);

(C) "Charges for conduct of Election for Lok Sabha and State/Union Territory Legislative Assemblies when held Simultaneously - Reimbursement to State/Union Territory Governments" - saving of Rs.283.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 2000.00 lakhs); and

(D) "Issue of Photo Identity Cards to voters- Reimbursement to State Governments" - saving of Rs.274.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2366.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to receipt of less claims of committed liabilities from the States and economy measures.

(V) Under Major Head "3601" - "Non Plan Grants" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Administration of Justice (Special Courts) - Family Courts" - saving of Rs.1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs); and

(B) "Administration of Justice (Civil and Sessions Courts) - Fast Track Courts" - saving of Rs.2044.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने और उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims and non-receipt of utilisation certificates from the State Governments.

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 146.00 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत और 96 प्रतिशत थी।

(VI) Under two heads savings of Rs.146.00 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 50 percent and 96 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बधने के लिए आंशिक रूप से (149.50 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2070" - "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ" के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 148.50 लाख रु. था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.149.50 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2070" – "International Co-operation - International Law Association". Actual excess, however, was Rs.148.50 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय-विधि कार्य विभाग" - 250.27 लाख रु. का अधिक व्यय (434.50 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2732.50 लाख रु.के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन की उर्ध्वमुखी प्रवृति होने, भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं और पुस्तकों की लागत में वृद्धि होने और विभिन्न अनुदानग्राही निकायों को अप्रत्याशित सहायता अनुदान जारी किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2052" – "Secretariat - Department of Legal Affairs" - excess of Rs.250.27 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2732.50 lakhs including supplementary grant of Rs.434.50 lakhs) was due to upward trend of conversion rates of foreign currency, increase of cost of Indian and foreign journals and books and release of unforeseen Grants-in-aid to the various grantee bodies.

(खा) मुख्य शीर्ष "2020" - "निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण" - 314.46 लाख रु. का अधिक व्यय (660.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3567.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2020" – "Direction and Administration - Income Tax Appellate Tribunal" – excess of Rs.314.46 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3567.00 lakhs including supplementary grant of Rs.660.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान" - 1154.80 लाख रु. का अधिक व्यय (11100.00

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Administration of Justice - Other Grants - Grants for infrastructural Facilities for judiciary" – excess of Rs.1154.80

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 3.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4070" - "अन्य प्राशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय" के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11100.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs. 3.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under Major Head "4070" – "Capital Outlay on Other Administrative Services" and was eventually surrendered.